संलग्नक
(अनुलग्नक–1 के साथ)

नामांकन प्रपत्र

(उत्तर प्रदेश परिभाषित अंशदान पेंशन योजना हेतु नामांकन)

पेंशन योजना इंडेक्स नम्बर 0405200450000054

इस प्रपत्र को भरने से पूर्व कृपया इसके दूसरी ओर छपे हुए अनुदेश सावधानीपूर्वक पढ़ लिए जाएं

मैं फूलचन्द्र कुशवाहा एतदद्वारा निम्नलिखित व्यक्ति/व्यक्तियों को, जो मेरे परिवार का/के सदस्य है/हैं अथवा आश्रित माता पिता, बहन भाई है, योजना में मेरे नाम जमा धनराशि को उस दशा में निम्नलिखित रूप में प्राप्त करने के लिए नामित करता/करती हूं जब उस धनराशि के देय होने से पूर्व मेरी मृत्यु हो जाय या देय होने पर जिसका भुगतान मुझे न हुआ हो और मेरी मृत्यु हो जाय :–

नामित व्यक्ति/व्यक्तियों का/के नाम और पूरा पता	अभिदाता से सम्बंध	नामित व्यक्ति की आयु	प्रत्येक नामित व्यक्ति का देय अंश (शेयर)	आकस्मिकताएं, जिनके होने पर नाम अवैध हो जायेगा	यदि अभिदाता की मृत्यु से पूर्व नामित व्यक्ति की मृत्यु हो जाये, तो इस व्यक्ति/उन व्यक्तियों का/के नाम, पता/पते और सम्बंध, यदि कोई हो, जिसे/जिन्हें नामित व्यक्ति के अधिकार प्राप्त हो जायेंगे।
1	2	3	4	5	6
1– सुमित्रा मौर्या	पत्नी	30 वर्ष	पूरा	तलाक	
2– सोहईबाग आलमपुर रोड					
3– लालगंज, रायबरेली					
4–					

दिनांक 17 मास 10 2008

स्थान हरदोई

अभिदाता के हस्ताक्षर Kushwaha

नाम : (हिन्दी में) फूलचन्द्र कुशवाहा

(अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में) PHOOL CHANDRA KUSHWAH

पदनाम सहायक अभियोजन अधिकारी

हस्ताक्षर के दो साक्षी :

	नाम	पता	हस्ताक्षर
1–	राजेन्द्र प्रसाद	कार्यालय ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी हरदोई	[signature]
2–	सुशील कुमार सिंह	SPO office HDI.	[signature]

कार्यालयाध्यक्ष / संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी के कार्यालय के प्रयोग के लिए

स्थान......हरदोई......

श्री / श्रीमती / कुमारी ...फूलचन्द्र कुशवाहा... का नाम हस्ताक्षर (दिनांक सहित)...... 18/10/08 18/10/08

पदनाम ...सहायक अभियोजन अधिकारी

(कार्यालयाध्यक्ष / संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी) ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी
मुहर
हरदोई

द्वारा नामांकन प्रपत्र की प्राप्ति का दिनांक ......

अभिदाता के हस्ताक्षर

(क) अभिदाता का पूरा नाम भरा जाय।

(ख) 'परिवार' का तात्पर्य निम्नलिखित से होगा।

(एक) पुरुष अभिदाता के मामले में, अभिदाता की पत्नी अथवा पत्नियां तथा बच्चे एवं अभिदाता के मृत पुत्र की विधवा अथवा विधवाएं तथा बच्चे। किन्तु प्रतिबंध यह है कि यदि अभिदाता यह सिद्ध कर देता है कि उसकी पत्नी का उससे न्यायिक पार्थक्य (Judicial Separation) हो चुका है अथवा वह जिस समुदाय की है, उसकी रूढ़िगत विधि के अधीन भरण--पोषण की अधिकारिणी नहीं रह गई है, तो वह एतदपश्चात् अभिदाता का परिवार की सदस्य नहीं मानी जायेगी, जब तक कि अभिदाता बाद में कार्यालयाध्यक्ष / संवर्ग नियंत्रक प्राधिकरी को लिखित रूप से स्पष्ट अधिसूचना (Express Notification) द्वारा यह सूचित न करें कि उसे ऐसा माना जाता रहेगा।

(दो) महिला अभिदाता के मामले में, अभिदाता का पति तथा बच्चे और अभिदाता के मृत पुत्र की विधवा अथवा विधवाएं तथा बच्चे, किन्तु प्रतिबंध यह है कि यदि अभिदाता कार्यालयाध्यक्ष / संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी से अपने पति को अपने परिवार में सम्मिलित न किये जाने की इच्छा व्यक्त कर देती है, तो पति को लिखित अधिसूचना द्वारा एतदपश्चात् अभिदाता के परिवार का सदस्य न माना जायेगा जब तक कि अभिदाता बाद में उसे सम्मिलित न किये जाने हेतु अपनी अधिसूचना को औपचारिक रूप से लिखकर रद्द न कर दें।

टिप्पणी-- (1) "बच्चों" का तात्पर्य वैध बच्चों से है।

(2) कोई दत्तक बच्चा तभी बच्चा माना जायगा जब दत्तक ग्रहण अभिदाता पर शासी स्वीय विधि द्वारा मान्यता प्राप्त हो। किन्तु, यदि कार्यालयाध्यक्ष / संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी के मन में कोई संदेह उत्पन्न हो जाता है तो यह तभी मान्य होगा जब सरकार के विधि परामर्शी को इस बात का समाधान हो जाय कि अभिदाता की वैयक्तिक विधि (Personal Law) के अधीन दत्तक ग्रहण को औरस बच्चे (Natural Child) की प्रास्थिति (Status) प्रदान करने के लिए विधिक मान्यता प्राप्त है।

यदि एक से अधिक व्यक्ति नामित किये जाते हैं तो प्रत्येक नामित व्यक्ति के सामने शब्द 'पूरा' लिखा जाय।

(ग) यदि केवल एक व्यक्ति ही नामित किया गया हो तो नामित व्यक्ति के सामने शब्द 'पूरा' लिखा जाय। नामित को देय अंश जिससे पेंशन खाते की सम्पूर्ण देय धनराशि आ जाय, निर्दिष्ट किया जाय।

(घ) स्तम्भ--5 में आकस्मिकता के रूप में नामित व्यक्ति (व्यक्तियों) की मृत्यु का उल्लेख न किया जाय।

(ङ) स्तम्भ 6 में अभिदाता के नाम का उल्लेख न किया जाय।

(च) अन्तिम प्रविष्टि के नीचे के खाली स्थान के आर--पार लकीर खींच दी जाय, जिससे कि अभिदाता के हस्ताक्षर करने के बाद कोई नाम बढ़ाया न जा सके।